

बद्रीनाथ में भारी हिमस्खलन

57 मजदूर फंसे, 16 को बचाया गया, बचाव कार्य जारी

टीमें चुनौतीपूर्ण इलाके, भारी बर्फबारी और बारिश से जूझ रही




चमोली, एजेंसियाँ। शुक्रवार को माणा के उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती गांव के पास सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के शिविर पर हिमस्खलन के बाद उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में बचाव अभियान जारी है, जिसमें लगभग 41 मजदूर बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं। शुरूआत में, कुल 57 मजदूर थे, जिनमें से अब तक 16 को बचा लिया गया है और उन्हें माणा गांव के पास एक सेना शिविर में भेज दिया गया है। बचाव गए मजदूरों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई माणा और माणा दरें के बीच हिमस्खलन हुआ, जिसमें भारत-तिब्बत सीमा की ओर सेना की

आवाजही के लिए आवश्यक बर्फ हटाने के काम में लगे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए कई टीमें चुनौतीपूर्ण इलाके, भारी बर्फबारी और बारिश से जूझ रही हैं। किसी के हवाहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

प्रबंधन टीम और पूरा प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन और बीआरओ की टीमों घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों के साथ आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। राज्य आपदा राहत बल प्रमुख के निर्देश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जोशीमठ में निकटतम चौकी से एक बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया। इसके अलावा, देहरादून के गौचर और सहस्त्रधारा में उच्च ऊंचाई वाले बचाव दल को स्टैंडबाय पर रखा गया है। घटना की पुष्टि करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण श्रमिकों के शीघ्र बचाव के लिए प्रार्थना की। धामी ने एक्स से बात करते हुए कहा - चमोली जिले के माणा गांव के पास बीआरओ द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान

कई श्रमिकों के हिमस्खलन में दबने की दुखद खबर मिली है। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दल राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। मैं भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिक भाइयों की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। हालांकि अभी तक बचाव अभियान पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पिछले दो दिनों से क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए स्थिति मुश्किल बनी हुई है। बचाव अभियान में बाधा डाल रहे खराब मौसम की स्थिति के बारे में बात करते हुए, बीआरओ के कार्यकारी अधिकारी सीआर मीना ने कहा कि तीन से चार एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई हैं। हालांकि, मीना ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण बचाव दल को मौके पर पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज



नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका आनंद लाल एड फोरम ट्रस्ट ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि इस घटना के चरमदीय गवाहों के मुताबिक इसमें करीब दो सौ लोगों की मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस घटना में मृत लोगों की संख्या कम बताकर हादसे के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं कि इस हादसे में दो सौ लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने राहत पाने के लिये वैसे लोगों को सीधे अदालत से संपर्क करने को कहा जिनके परिवारों को इस घटना में जान गंवानी पड़ी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने भी याचिका दायर कर केंद्र और सभी राज्यों को मिलकर एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की जरूरत बताई जो क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।

भारत की बुनियाद सनातन धर्म में निहित है - उपराष्ट्रपति धनखड़

नई दिल्ली, एजेंसियाँ। धनखड़ ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर यहां एकत्र लोगों से कहा कि अहिंसा, शांति और भाईचारे के अपने संदेश के जरिये लंबे समय से दुनिया का पथ प्रदर्शन रहा भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा, "सनातन का अर्थ है समावेशिता, सार्वभौमिक मूल्य, देशभक्ति। इसका अभिप्राय जाति, पंथ और आर्थिक विभाजन से ऊपर उठना भी है।" उन्होंने भारत की धरोहर का उल्लेख करते हुए कहा, "विश्व में (भारत को छोड़कर) किसी भी देश की संस्कृति 5,000 वर्ष पुरानी नहीं है। भारत विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है और हमें इस गति को बनाये रखना होगा।" धनखड़ ने 1,000-1,200 साल पहले नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों पर हुए हमलों को लेकर भी अफसोस जताया।

सम्भल जामा मस्जिद की साफ सफाई कराने का निर्देश



रंगाई पुताई का आदेश नहीं, अगली सुनवाई चार मार्च को

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सम्भल जामा मस्जिद की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया लेकिन रंगाई पुताई के लिए आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मस्जिद की इंताजामिया कमेटी को अगली सुनवाई तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सम्भल जामा मस्जिद की इंताजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एएसआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। एएसआई के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निरीक्षण

केवल पुताई और रोशनी की व्यवस्था करना चाहती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को परिसर में जमा धूल और घास साफ कराने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नक्वी ने कहा कि वह रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं क्योंकि मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता है, जो वार्षिक गतिविधि है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सफाई के दौरान कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी ओर राज्य सरकार के महाधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी शपथ पत्र दायित्व के लिए मंगलवार तक का समय मांगा। कोर्ट ने इंताजामिया कमेटी और हरिशंकर जैन को आपत्ति व शपथ पत्र के लिए समय देते हुए कहा कि एएसआई मस्जिद के आसपास की दैनिक रखरखाव यानी सफाई, धूल हटाने और घासफूस को हटाने का सवाल है, एएसआई यह कार्य करेगा बशर्तें मस्जिद की इंताजामिया कमेटी एएसआई को ऐसा करने में कोई बाधा न डाले। इस पर इंताजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नक्वी ने कहा कि कमेटी

रुत करेगा। मस्जिद की इंताजामिया कमेटी से अपेक्षा की जाती है कि वह कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी और एएसआई के कार्य में सहयोग करेगी। इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि जब एएसआई द्वारा सफाई का कार्य किया जा रहा होगा तो प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को भी अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को तीन अधिकारियों की कमेटी बनाकर सम्भल में जामा मस्जिद का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। कमेटी में मेरठ परिक्षेत्र के संयुक्त महानिदेशक मदन सिंह चौहान, निदेशक स्मारक जुल्फेकार अली, अधीक्षण पुरातत्वविद विनोद सिंह रावत और मस्जिद के मुतवल्ली भी शामिल थे। कोर्ट ने कमेटी को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

पोक्सो मामले में बीएस येदियुरप्पा तलब

चार्जशीट पर विशेष अदालत ने लिया संज्ञान



बेंगलुरु, एजेंसियाँ। एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक मामले में कर्नाटक सीआईडी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर नए सिरे से संज्ञान लिया है। यह घटनाक्रम दिग्गज भाजपा नेता के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि मामले के संज्ञान लेने वाला आदेश समाप्त हो गया है, लेकिन अपराध, जांच और अंतिम रिपोर्ट बरकरार है। न्यायमूर्ति एम नामप्रसन्ना, जिन्होंने पहले येदियुरप्पा को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण

दिया था, ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। यह मामला 14 मार्च, 2024 को एक महिला को शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वे मदद मांगने के लिए बेंगलुरु के डॉल्स कॉलोनी में उनके आवास पर गए थे। मां, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, ने भाजपा नेता पर पैसे का लालच देकर उन्हें चुप कराने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत येदियुरप्पा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान, येदियुरप्पा के

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने खत्म किया आपराधिक मुकदमा



लखनऊ (आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया। यह फैसला राज्य सरकार की उस अर्जी पर आया, जिसमें मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस अर्जी को मंजूर कर लिया। दरअसल, निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र को पहले खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को भी रद्द कर दिया।

उन्होंने अपने कार्यकाल में विनेश फोगट जैसी स्टर रेसलर द्वारा शारीरिक शोषण के आरोपों का सामना करना पड़ा था। विनेश फोगट के अलावा अन्य रेसलर ने भी बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाए थे। ओलॉपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया भी पहलवानों के संघ नई दिल्ली में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। पिछले माह बृजभूषण शरण सिंह के घर पर कुश्ती संघ ऑफिस अस्थायी भी दिल्ली के हरिनगर में हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सजय सिंह ने बताया था, बृजभूषण शरण सिंह के घर ऑफिस शिफ्ट करने की खबर पुरी तरह से गलत है।

मुख्यमंत्री फड़णवीस को पाकिस्तानी फोन से मिली हमले की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई



मुंबई, (हि.स.)। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को पाकिस्तानी फोन से उन पर हमला किए जाने और मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वरली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके धमकी देने वाले की छानबीन की जा रही है। मुंबई पुलिस ने समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर खुद को मलिक शाहबाज हुमायू राजा देव बताते हुए पाकिस्तानी नंबर से मुख्यमंत्री पर धमकी का मैसेज बुधवार को मिला था। मुंबई पुलिस ने इस धमकी पर मैसेज की अधिकृत जानकारी मीडिया को नहीं दी है, लेकिन इस मैसेज की छानबीन गोपनीय तरीके से की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक धमकी भरा मैसेज भेजने वाले का पता नहीं चल सका है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को बुलढाणा जिले से गिरफ्तार किया था और मामले की छानबीन की गई थी, लेकिन यह धमकी फेंक साबित हुई थी।

● जेट विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों की ओर देखने का सुझाव

नई दिल्ली, (हि.स.)। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर लड़ाकू विमानों की कम स्टाइन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वायु सेना को अगले कुछ वर्षों में पुराने बेड़े से मिराज, मिग-29 और जगुआर को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए हर साल 35-40 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। उन्होंने टाटा और एयरबस के संयुक्त उद्यम में सी-295 परिवहन विमान निर्माण का हवाला देते हुए जेट विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों की ओर देखने का सुझाव दिया। वायु सेना प्रमुख ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने लड़ाकू बेड़े में हर साल दो स्काइन जोड़ने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें हर साल 35-40 विमान चाहिए। हालांकि, यह क्षमता रातोंरात नहीं आ सकती, लेकिन इन विमानों की जरूरत मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए है। साथ ही यह जरूरत अगले 5-10 वर्षों में मौजूद बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बाद पैदा होने वाली कमियों को भी पूरा करने के लिए है। उन्होंने

कहा कि जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 जेट को हवाई बेड़े में 1980 के दशक के दौरान शामिल किया गया था, जिन्हें 2029-30 के बाद चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किया जाना है। इस महीने की शुरूआत में बेंगलुरु में एयरो इंडिया के दौरान वायु सेना प्रमुख ने तेजस मार्क-1ए जेट के उत्पादन की गति पर चिंता जताई थी, क्योंकि अनुबंधित 83 तेजस मार्क-1ए जेट की आपूर्ति समय सीमा से एक साल से अधिक पीछे चल रही है।

संतुलित करने के बारे में कहा कि मैं विदेशी कंपनियों से खरीद कर जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्वदेशी विमानों की आपूर्ति वादा किए गए आंकड़े से बहुत कम हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत होगी। उन्होंने जेट विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों की ओर देखने का सुझाव देते हुए टाटा और एयरबस के संयुक्त उद्यम में सी-295 परिवहन विमान निर्माण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम निजी भागीदारी से हर साल 12-18 जेट विमान हासिल कर सकते हैं। एयर चीफ मार्शल सिंह ने 2047 तक वायु सेना का विजन देते हुए कहा कि हमें इसी तरह आगे बढ़ना है। यह समय सीमा 80% विकसित भारत है। यह विकसित भारत के लिए है।

जम्मू-कश्मीर के रामबन में हिजबुल के पांच आतंकवादियों की संपत्ति जब्त



रामबन, (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले के गुल इलाके में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों की अचल संपत्तियां जब्त की हैं। यह सभी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में चले गए हैं और वहीं से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। गुल क्षेत्र के इन पांच निर्वासित आतंकवादियों की अचल संपत्तियों को जब्त करना आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को खत्म करने और क्षेत्र में आतंकवाद के पुनरुत्थान को रोकने में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि संगठन के सराज दौन (48), दलवाह के रेयाज अहमद (45), बंज भीमदासा के फारूक अहमद (46) और मोइला के मोहम्मद अशरफ (50) और मुस्ताक अहमद (47) पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में चले गए हैं और वहीं से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। यह दशहतर आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण करने के लिए इन संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सक्रिय आतंकवादियों को कड़ा संदेश है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों को बर्बाद नहीं किया जाएगा।

